न्यूयॉर्क राज्य गोपनीयता कानून और HIV
सार्वजनिक स्वास्थ्य कानून, अनुच्छेद 27-F

New York State Confidentiality Law and HIV:
Public Health Law, Article 27-F

सार्वजनिक स्वास्थ्य कानून, अनुच्छेद 27-F क्या है?

अनुच्छेद 27-F न्यूयॉर्क राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य कानून (Public Health Law) की वह धारा है जो ऐसी किसी भी व्यक्ति की गोपनीयता और गुप्तता की रक्षा करता है:

- जिसका HIV टेस्ट हुआ है;
- जो HIV के संपर्क में आया हो;
- जिसमें HIV या HIV/AIDS से संबंधित बीमारी पाई गई है; या
- जिसका HIV/AIDS से संबंधित बीमारी का इलाज हुआ है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य कानून, अनुच्छेद 27-F:

- में यह ज़रूरी है कि तेरह वर्ष और उससे ज़्यादा उम्र के हर व्यक्ति को नियमित स्वास्थ्य देखभाल के हिस्से के तौर पर कम से कम एक बार HIV टेस्ट की सुविधा प्रदान की जाए;
- में यह ज़रूरी है कि, कुछ ख़ास मामलों के अलावा, किसी व्यक्ति की HIV स्थिति के बारे में जानकारी का खुलासा सिर्फ तभी किया जा सकता है (दूसरों के साथ जानकारी शेयर की जा सकती है) अगर वह व्यक्ति HIV रिलीज़ फ़ॉर्म पर हस्ताक्षर करता है या उस व्यक्ति का कानूनी तौर पर नियुक्त अभिभावक या स्वास्थ्य देखभाल प्रतिनिधि फ़ॉर्म पर हस्ताक्षर करता है;
- उन व्यक्तियों और व्यवस्थाओं पर लागू होता है जो स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं या सामाजिक सेवाएं प्रत्यक्ष रूप से प्रदान करती हैं और ऐसे किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है जो सही तरीके से पूरी की गई HIV रिलीज़ फॉर्म के अनुसार किसी व्यक्ति के बारे में HIV से संबंधित जानकारी प्राप्त करता है;
- में यह ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति या व्यवस्था जिसका काम अनुच्छेद 27-F के अंतर्गत आता है और जो HIV से संबंधित जानकारी प्राप्त करता है, उसे कानून के अनुसार वह जानकारी गोपनीय रखनी **पड़ेगी**।

HIV संबंधी गोपनीय जानकारी क्या है?

यह कोई भी ऐसी जानकारी है जो दिखाती है कि:

- किसी व्यक्ति का HIV से संबंधित टेस्ट हुआ था (जैसे कि HIV एंटीबॉडी टेस्ट, CD4 टेस्ट, वायरल लोड टेस्ट, पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन [Polymerase Chain Reaction, PCR] टेस्ट, या अन्य टेस्ट);
- किसी व्यक्ति में HIV, HIV से संबंधित बीमारी पाई गई है;
- कोई व्यक्ति जो HIV के संपर्क में आया है;
- किसी व्यक्ति को इनमें से एक बीमारी है, जिसमें व्यक्ति के यौन संपर्कों या सुई शेयर करने वाले संपर्कों के बारे में जानकारी शामिल है; या
- कोई व्यक्ति जो HIV की बीमारी से पीड़ित पाए गए व्यक्ति का साथी है या यौन/मादक द्रव्य सेवन संपर्क में मौजूद है।

किन हालातों में एक व्यक्ति को HIV टेस्ट प्रदान किया जाता है?

निम्नलिखित स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्थाओं में प्रदान की जाने वाली नियमित स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के हिस्से के तौर पर 13 वर्ष और उससे ज़्यादा उम्र के हर मरीज़ को कम से कम एक बार HIV टेस्ट की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए:

- निदान और इलाज के केंद्रों में प्राथमिक देखभाल सेवाएं (स्कूल-आधारित क्लिनिक और परिवार नियोजन स्थल सहित)
- हॉस्पिटल के बाहरी मरीज़ विभागों में प्राथमिक देखभाल सेवाएं
- हॉस्पिटल के मौजूदा मरीज़ विभाग
- आपातकालीन विभाग

व्यवस्था चाहे जो भी हो HIV टेस्ट चिकित्सकों, चिकित्सक सहायकों, नर्स चिकित्सकों या प्राथमिक देखभाल प्रदान करने वाली आया या उनके प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए।

प्राथमिक देखभाल का अर्थ है निम्नलिखित के चिकित्सा क्षेत्र:

- परिवार संबंधी दवा
- साधारण बाल चिकित्सा
- प्राथमिक देखभाल
- आंतरिक दवा
- प्राथमिक देखभाल प्रसूति/स्त्री रोग विज्ञान

तीन ख़ास मामलों के अलावा HIV टेस्ट प्रदान किया जा सकता है:

- अगर व्यक्ति के जीवन को खतरे में डालने वाली आपातकालीन स्थिति का इलाज चल रहा हो;
- अगर व्यक्ति को पहले HIV टेस्ट प्रदान किया गया हो या उसका पहले टेस्ट हुआ हो (जब तक कि हालिया जोखिमपूर्ण व्यवहार के कारण अन्यथा संकेत न दिया गया हो);
- अगर उपस्थित प्रदाता द्वारा व्यक्ति की सहमति देने की मानसिक क्षमता में कमी पाई गई हो।

क्या HIV टेस्ट के लिए सहमति ज़रूरी है?

न्यूयॉर्क राज्य के कानून के अनुसार किसी व्यक्ति का HIV टेस्ट किए जाने से पहले उसे सूचित किया जाना चाहिए, जिसमें यह सूचित किया जाना भी शामिल है कि उसे HIV टेस्ट से इनकार करने का अधिकार है। 28 नवंबर, 2016 से प्रभावी, सार्वजनिक स्वास्थ्य कानून में हुआ अद्यतन HIV टेस्ट के लिए लिखित या मौखिक रूप से सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता को हटा देता है, जिसमें न्यूयॉर्क राज्य की सुधार व्यवस्थाओं में HIV टेस्ट के लिए लिखित सहमति का खात्मा और सहमति फ़ॉर्म के संदर्भ को हटाना शामिल है। सार्वजनिक स्वास्थ्य कानून में अद्यतन का उद्देश्य है HIV टेस्ट करवाने में आने वाली मुश्किलों को दूर करना और HIV टेस्ट को इस तरह से तुलनीय बनाना जैसे दूसरे महत्वपूर्ण लेबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं। HIV टेस्ट करवाना अभी भी स्वैच्छिक है और मरीज़ों को HIV टेस्ट से इनकार करने का अधिकार है, लेकिन किसी भी व्यवस्था में टेस्ट के लिए लिखित या मौखिक सहमति प्राप्त करना अब आवश्यक नहीं है। मौखिक रूप से मरीज़ों को सूचित करना पड़ेगा कि HIV टेस्ट किया जाएगा। अगर मरीज़ HIV टेस्ट पर आपत्ति जताता है, तो इसे मरीज़ के मेडिकल रिकॉर्ड में नोट किया जाना चाहिए।

क्या नाबालिग अपने खुद के HIV टेस्ट, HIV के इलाज और HIV रोकथाम सेवाओं के लिए सहमति दे सकते हैं?

हां। नाबालिगों के पास माता-पिता की शामिलगिरी के बिना HIV टेस्ट के लिए सहमति देने की क्षमता होती है। उन्हें HIV के बारे में ज़रूरी जानकारी प्रदान की जानी चाहिए और बताया जाना चाहिए कि उन्हें HIV टेस्ट से इनकार करने का अधिकार है। 2016 में सार्वजनिक स्वास्थ्य विनियमन में हुए अपडेट भी अब नाबालिगों को HIV के इलाज और HIV निवारक सेवाओं के लिए सहमति देने की अनुमति देते हैं, जिसमें प्री-एक्सपोज़र प्रोफ़िलैक्सिस (Pre-Exposure Prophylaxis, PrEP) और पोस्ट-एक्सपोज़र प्रोफ़िलैक्सिस (Post-Exposure Prophylaxis, PEP) शामिल हैं।

HIV टेस्ट किए जाने से पहले किसी व्यक्ति को क्या जानकारी दी जानी चाहिए?

नैदानिक HIV टेस्ट किए जाने से पहले, HIV के बारे में जानकारी मौखिक रूप से, लिखित रूप में, साइनेज के ज़रिए या किसी मरीज़ के अनुकूल दूसरे ऑडियो-विज़ुअल प्रारूप में प्रदान की जानी चाहिए। NYS स्वास्थ्य विभाग (Department of Health, DOH) HIV टेस्टिंग क्लिनिक पोस्टर को किसी ऐसे स्थान पर लगाना जहां यह दिख सके या मरीज़ों को HIV टेस्टिंग पर NYS DOH मरीज़ ब्रोशर प्रदान करना, मरीज़ों को यह जानकारी देने के सरल तरीके हैं। टेस्टिंग का पोस्टर और ब्रोशर सात अलग-अलग भाषाओं में उपलब्ध हैं और दोनों यहां मिल सकते हैं:

https://www.health.ny.gov/diseases/aids/consumers/testing/index.htm

जानकारी शेयर करने के लिए एक हस्ताक्षरित रिलीज़ की गई फ़ॉर्म का होना आवश्यक कब होता है?

आम तौर पर, HIV से संबंधित जानकारी का खुलासा सिर्फ तभी किया जा सकता है जब व्यक्ति अनुमोदित HIV रिलीज़ फ़ॉर्म पर हस्ताक्षर करता है। जैसे कि, बिना हस्ताक्षरित रिलीज़ फ़ॉर्म के एक मेडिकल प्रदाता किसी व्यक्ति के मेडिकल रिकॉर्ड से गोपनीय HIV जानकारी समुदाय आधारित संगठन के किसी केस मैनेजर या दूसरे कर्मचारियों के साथ शेयर नहीं कर सकता है। किसी भी उद्देश्य, जैसे देखभाल के संबंध में मेडिकल रिकॉर्ड से किसी गैर-मेडिकल प्रदाता को HIV से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए एक निश्चित हस्ताक्षरित रिलीज़ की ज़रूरत होती है। इस उद्देश्य के लिए DOH फ़ॉर्म 2557 - चिकित्सा संबंधित जानकारी और HIV संबंधित गोपनीय जानकारी का खुलासा करने के लिए प्राधिकरण (Authorization for Release of Medical Information and Confidential HIV Related Information), का इस्तेमाल किया जाता है। यह फ़ॉर्म HIV संबंधित जानकारी और गैर-HIV संबंधित जानकारी दोनों का खुलासा करने की अनुमति देता है। DOH फ़ॉर्म 5032, जिसका शीर्षक है स्वास्थ्य जानकारी (शराब/नशे का इलाज और मानसिक स्वास्थ्य जानकारी सहित) और गोपनीय HIV/AIDS संबंधित जानकारी का खुलासा करने के लिए प्राधिकरण (Authorization for Release of Health Information (Including Alcohol/Drug Treatment and Mental Health Information) and Confidential HIV/AIDS Related Information), इस्तेमाल के लिए तब उपलब्ध होता है जब खुलासा की जाने वाली जानकारी में शराब या मादक द्रव्यों के उपयोग के बारे में जानकारी शामिल होती है जिसे संघीय विनियमन 42-CFR Part 2 के तहत अतिरिक्त सुरक्षित का दर्जा प्रदान किया गया है।

किन परिस्थितियों में एक अनुमोदित HIV रिलीज़ फ़ॉर्म के बिना HIV संबंधित जानकारी का खुलासा किया जा सकता है?

चिकित्सकीय इलाज के लिए:

- व्यक्ति के मौजूदा प्रदाता के साथ इलाज करने वाली टीम में काम करने वाले चिकित्सा पेशेवर किसी मरीज़ की HIV संबंधित जानकारी पर एक दूसरे के साथ या अपने सुपरवाइज़रों के साथ बातचीत कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आवश्यक देखभाल प्रदान करने के लिए;
- एक सामान्य रिलीज़ के ज़रिए, अगर चिकित्सा देखभाल के भुगतान के लिए जानकारी की आवश्यकता हो तो हॉस्पिटल या स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता मरीज़ की बीमा कंपनी के साथ HIV संबंधित जानकारी शेयर कर सकता है;
- अगर व्यक्ति जेल या क़ैदख़ाने में हो या अस्थायी/स्थायी रूप से रिहाई (पैरोल) पर हो तो चिकित्सा कर्मियों और कुछ दूसरे पर्यवेक्षी कर्मचारियों के पास सेवाएं प्रदान करने या निगरानी करने के लिए HIV संबंधित जानकारी तक पहुंच मौजूद हो सकती है।

स्वास्थ्य देखभाल और बीमारी की रोकथाम की निगरानी के लिए:

- ऐसे स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था कर्मचारी और समिति, निरीक्षण समीक्षा संगठन, या सरकारी एजेंसी को जो मेडिकल रिकॉर्ड तक पहुंच के लिए अधिकृत हैं, उन्हें HIV संबंधित जानकारी तब दी जा सकती है जब किसी स्वास्थ्य सेवा या सामाजिक सेवा की देखरेख, निगरानी या प्रबंधन के लिए इसकी आवश्यकता हो;
- हाल ही में HIV से पीड़ित पाए गए व्यक्ति के ज्ञात साझेदारों को चिकित्सक या सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सूचित किया जाना चाहिए कि वे HIV के संपर्क में आ गए हैं। संक्रमण के स्रोत के बारे में जानकारी का खुलासा नहीं किया जाएगा;
- कानून द्वारा आवश्यक होने पर सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों के पास इस जानकारी तक पहुंच हो सकती है, जैसे बीमारी से जुड़ी प्रवृत्तियों की निगरानी करने और रोकथाम कार्यक्रमों की योजना बनाने के लिए HIV/AIDS केस रिपोर्टिंग;
- चिकित्सा केंद्र के संस्थागत समीक्षा बोर्ड (Institutional Review Board) की मंज़ूरी के साथ किसी अकादमिक चिकित्सा केंद्र में खोज करने वाले शोधकर्ता, यह बोर्ड मानव विषयों की सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार है।

HIV देखभाल में जुड़ाव और लगातार उपयोग को बढ़ावा देने के लिए:

अगर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति देखभाल में नहीं है, तो जानकारी स्वास्थ्य विभाग और उस व्यक्ति के साथ कागज़ी तौर पर देखभाल संबंध रखने वाले स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता या देखभाल समन्वयक के बीच शेयर हो सकती है। अगर ऐसा प्रतीत होता है कि HIV से पीड़ित कोई व्यक्ति देखभाल में नहीं है, तो देखभाल में प्रवेश की मुश्किलों को दूर करने और देखभाल में जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सा प्रदाता, देखभाल समन्वयक या स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उससे संपर्क भी कर सकते हैं।

HIV-विशिष्ट रिलीज़ फ़ॉर्म के बिना HIV संबंधित जानकारी का खुलासा करने की अन्य परिस्थितियों में शामिल हैं:

- प्रत्याशित गोद लेने वाले या पालक माता-पिता के साथ काम करने वाली अधिकृत एजेंसियों के पास इस जानकारी तक पहुंच मौजूद हो सकती है;
- कोई न्यायाधीश एक विशेष अदालत का ऐसा आदेश जारी कर सकता है जिसके लिए HIV संबंधित जानकारी का खुलासा करने की आवश्यकता होती है। किसी वकील द्वारा जारी उपस्थिति-पत्र के जवाब में जानकारी का खुसाला नहीं किया जा सकता;
- अनुच्छेद 27-F HIV टेस्ट को कवर नहीं करता है जब इसका आदेश सिर्फ बीमा संबंधित कारणों से दिया गया हो। इसे बीमा कानून धारा 2611 (Insurance Law Section 2611) द्वारा कवर किया गया है। जब बीमा संबंधित कारणों से HIV टेस्ट दिया जाता है, तो इसमें आम तौर पर एक संक्षिप्त लिखित सहमति और अधिक प्रश्नों के लिए किसी काउंसेलर का संदर्भ शामिल होता है;
- कार्यस्थल पर HIV के संपर्क में आने के कुछ मामलों में, बिना सहमति के खुलासा तब हो सकता है जब संपर्क में आने के सभी मानदंड पूरे हो चुके हों;

किसी दूसरे पक्ष के निकट HIV-विशिष्ट जानकारी का खुलासा करने के दौरान, क्या यह बयान शामिल करना ज़रूरी है कि संरक्षित व्यक्ति की सहमति के बिना जानकारी का दोबारा खुलासा नहीं किया जा सकता है?

आम तौर पर कहें तो, यह बयान उन सभी मामलों में साथ होना चाहिए जहां HIV संबंधित जानकारी शेयर होती है। हालांकि, कई व्यतिक्रम भी हैं।

निम्नलिखित परिस्थितियों में दोबारा खुलासे के बयान की ज़रूरत नहीं होती है:

- एक स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता या स्वास्थ्य व्यवस्था तब जानकारी शेयर करती है जब उपयुक्त देखभाल प्रदान करने के लिए HIV संबंधित जानकारी मालूम होना आवश्यक हो;
- स्वास्थ्य सेवाओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति के इरादे से आवश्यक सीमा तक तीसरे पक्ष के प्रतिपूर्तिकर्ताओं या उनके एजेंटों के साथ जानकारी शेयर की जाती है; बशर्ते, जहां आवश्यक हो, ऐसे खुलासे के लिए प्रदाता द्वारा एक अन्यथा उचित प्राधिकरण हासिल किया गया हो;
- उचित सहमति के मामलों में, जिसे समुचित फ़ॉर्म का इस्तेमाल करने के रूप में परिभाषित किया गया है। समुचित फ़ॉर्म में शामिल हैं: HIV का विशिष्ट अधिकृत खुलासा, संरक्षित व्यक्ति का नाम, प्राप्तकर्ता का नाम, कारण/उद्देश्य, तारीख, सहमति का समयकाल, हस्ताक्षरित;
- जब ग्राहक खुद HIV संबंधित जानकारी का खुलासा कर रहे हों;
- आंतरिक संचार;
- जब जानकारी का खुलासा माता-पिता/कानूनी अभिभावकों के निकट किया जाए;
- संपर्क अधिसूचना के उद्देश्य के लिए;
- अदालत के आदेश के संदर्भ में;
- पालन-पोषण देखभाल/गोद लेने की प्रक्रिया के संयोजन में एक अधिकृत एजेंसी;
- संरक्षित व्यक्ति के संबंध में विभाग के कार्यों को पूरा करने के लिए आपराधिक न्याय एजेंसियां;
- जब सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों के निकट खुलासा किया जाए;
- सेवा वितरण समीक्षा/निगरानी करने के दौरान;
- जब अंगों के प्रत्यारोपण के उद्देश्य से शेयर किया जाए।

दोबारा खुलासे के बयान का एक उदाहरण निम्नलिखित है:

"इस जानकारी का खुलासा उन गोपनीय रिकॉर्ड से आपके निकट किया गया है जो राज्य कानून द्वारा संरक्षित हैं। राज्य का कानून आपको उस व्यक्ति की विशिष्ट लिखित सहमति के बिना जानकारी का दोबारा खुलासा करने से रोकता है जिससे यह संबंधित है, या अन्यथा कानून द्वारा जैसी अनुमति दी गई हो। राज्य के कानून का उल्लंघन करते हुए किसी भी अनधिकृत खुलासे के परिणामस्वरूप जुर्माना या जेल की सज़ा या दोनों हो सकते हैं। चिकित्सा या अन्य जानकारी का खुलासा करने के लिए एक सामान्य प्राधिकरण दोबारा खुलासे के लिए काफ़ी **नहीं** है।"

-सार्वजनिक स्वास्थ्य कानून § 2782 (5)(a) [Public Health Law § 2782 (5)(a)]

संसाधन:

न्यूयॉर्क राज्य स्वास्थ्य विभाग HIV गोपनीयता हॉटलाइन

800-962-5065

सोमवार - शुक्रवार, सुबह 8:30 बजे - शाम 4:30 बजे

यहां पर आप एक शिकायती रिपोर्ट भेज सकते हैं:

Special Investigation Unit AIDS Institute

New York State Department of Health

Empire State Plaza, Corning Tower #308

Albany, NY 12237

518-473-2300

न्यूयॉर्क राज्य में कहीं भी मानवाधिकार के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए:

न्यूयॉर्क राज्य मानवाधिकार विभाग (Division of Human Rights), AIDS भेदभाव विवाद कार्यालय

888-392-3644

अनुच्छेद 27-F के कथित उल्लंघनों के लिए फ़ॉर्म प्राप्त करने के लिए, कृपया यहां पाया जाने वाला DOH फ़ॉर्म 2865 देखें:

https://www.health.ny.gov/forms/doh-2865.pdf

संघीय गोपनीयता सुरक्षा के संबंध में ज़्यादा जानकारी के लिए:

अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग (Department of Health and Human Services), नागरिक अधिकार कार्यालय

800-368-1019

भागीदार अधिसूचना के संबंध में जानकारी और सहायता के लिए:

भागीदार सेवाएं

800-541-2437

संपर्क अधिसूचना सहायता प्रोग्राम (Contact Notification Assistance Program, CNAP):

सिर्फ न्यूयॉर्क शहर

212-693-1419 या कॉल करें 311

सामान्य जानकारी या संभावित कानूनी सहायता के लिए:

कानूनी कार्रवाई केंद्र (Legal Action Center)

212-243-1313

सूचित सहमति फ़ॉर्म और रिलीज़ फ़ॉर्म प्राप्त करने और HIV/AIDS संबंधित कार्यक्रमों, नीतियों और विनियमों के बारे में ज़्यादा जानने के लिए, NYSDOH की वेबसाइट पर जाएं:

www.health.ny.gov/diseases/aids/index.htm

यहां पर हमें फ़ॉलो करें:
health.ny.gov
facebook.com/NYSDOH
twitter.com/HealthNYGov
youtube.com/NYSDOH